

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

1 NOV 2011

12AA 564335

प्रारूप-26

(नियम 4क देखिए)

24 अक्टूबर निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधानसभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ—पत्र।

मैं डॉ. जयप्रकाश पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री गोपाल कुमार आयु.

वर्ष जो ५३३ वीं वर्ष अवधि का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूं :—

मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विवरित किया गया है/किए गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लाइन
- (ii) पुलिस थाना (थाने) लाइन जिला या जिले लाइन राज्य/संघ
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लाइन
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवरण की गई लाइन

अप्रृष्ट अप्रृष्ट

2

- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गये थे लाभु नैष
 (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं लाभु नैष

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।
 (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :


- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं लाभु नैष
 (ii) न्यायालय जिसने दंडित किया है लाभु नैष
 (iii) पुलिस थाना (थाने) लाभु नैष जिला (जिले) लाभु नैष राज्य लाभु नैष
 (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लाभु नैष
 (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे लाभु नैष
 (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं.
लाभु नैष

अभिसाक्षी

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

स्थान : लाभु नैष

तारीख : 8-1-2012



सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तर्वर्त्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

स्थान पर आज तारीख 8-1-2012 को सत्यापित किया।

Signed Sworned and verified
Before me by Sri Aditya Pathania
on Dt. 8/1/2012 A.M./P.M.
who is Identified by Sri. Jeet Singh Sajwan
8/1/2012

अभिसाक्षी
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्रारूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लाभु नहीं हैं, काट दिया जाए।

NOTARY PUBLIC (FRESH)
UTTARAKHAND
Reg. No. 51(3)/2007